



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022023-243623  
CG-DL-E-15022023-243623

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 668]  
No. 668]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2023/माघ 25, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2023/MAGHA 25, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2023

**का.आ. 698(अ).**— केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5, के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण और उसके भांडागारणों रिपोजिटरी को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दी जाती है, अर्थात् :-

- (क) आधार ई-केवाईसी के माध्यम से डब्ल्यूडीआरए पोर्टल और उनके विनियमित भांडागारणों पर जमाकर्ताओं, वेयरहाउसमैन और अन्य संबंधितों को ऑनबोर्ड करना;
- (ख) डब्ल्यूडीआरए पोर्टल और उनके विनियमित भांडागारणों पर सेवा संबंधी लेन-देन निष्पादित करना।

2. भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार द्वारा आधार अधिप्रमाणन के उपयोग के लिए संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

[फा. सं. 15/2021-भंडारण-II]

सुबोध कुमार सिंह, अपर सचिव

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION****(Department Of Food And Public Distribution)**

(WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th February, 2023

**S.O. 698(E).**—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial And Other Subsidies, Benefits And Services) Act, 2016 (18 of 2016) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, having been authorised by the Central Government, hereby notifies that the Warehousing Development Regulatory Authority and its regulated repositories are allowed to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, for the purposes given below, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

- (a) Onboarding of depositors, warehouseman and others on WDRA portal and its regulated repositories platform through aadhar e-KYC;
- (b) performing service transactions on WDRA portal and its regulated repositories.

2. The Warehousing Development Regulatory Authority shall adhere to the guidelines with respect to use of Aadhaar authentication as laid down by the Central Government.

[F.No. 15/2021-Stg-II]

SUBODH KUMAR SINGH, Addl. Secy.